न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—05 / 2020 (2020 / 00203) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपी पिता रूपा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी

दिनांक 12.08.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम आसुणा पटवार हल्का मोखुन्दा के बैरून हल्का आबादी में नवीन खाता संख्या 440 में अंकित नवीन आराजी संख्या 107 रकबा 0.50 हैक्ट आ.सं. 108 रकबा 0.01 हैक्ट, आ.सं. 109 रकबा 0.27 हैक्ट आ.सं. 110 रकबा 0.12 हेक्ट आस 1187 / 102 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता पांच कुल रकबा 1.08 हेक्ट भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त भूमियों पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपनी आराजी के चारों तरफ पत्थर की दीवार बाड़ कर रखी है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया है जिसके साबिक नम्बर 536 / 35 रकबा 5 बीघा थे जो प्रार्थी के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं जो पूरा एक ही रकबा होकर सड़क से लगती हुई थी तथा प्रार्थी की उक्त आराजी के दक्षिण पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या एक की बिलानाम आराजी संख्या 35 / 2 मी थी तथा इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तहसील रायपुर में प्रबन्ध होने पर ग्राम आसुणा में भी प्रबन्ध हुआ जिससे प्रार्थनापत्र की कलम संख्या दो में अंकित वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात संख्या 536 / 35 रकबा 5 बीघा के नवीन नम्बर आ.सं. 107 रकबा 0.50 है. आ.सं. 108 रकबा 0.01 हैक्ट आ.स. 109 रकबा 0.27 ट्रैक्ट आराजी संख्या 110 रकबा 0.12 हैक्ट आ.स. 1187 / 102 रकबा 0.18 हेक्ट, कुल किता पांच कुल रकबा 1.08 हेक्ट, कायम किए गए प्रमाण में साबिक जमाबंदी, साबिक नक्शा ट्रेस, [illegible] फल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। भूप्रबन्ध के दौरान प्रबन्ध [illegible] चारियों में प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर [illegible] में जो सही अंकित [illegible] परंतु नवीन नक्शे में प्रार्थी की आ.स. 1187 / 102 रकबा 0.18 [illegible], भूमी को प्रार्थी [illegible] आराजी से अलग करते हुए आ.स. 107 व आ.सं. 1187 / 102 के मध्य बिलानाम आ.स. 106 रकबा 0.35

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested

हैक्ट. किस्म रास्ता अंकित कर दिया जो गलत होकर अवैध है। प्रार्थी की कृषि आराजियात मौके पर एक ही चक होकर चारो तरफ पत्थर की दीवार व बाड़ बनी हुई है या प्रार्थी की आराजियात के मध्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। विपक्षी की आ.स. 106 रकबा 0.35 हैक्ट प्रार्थी की साबिक आ.सं. 536/35 के दक्षिण पूर्वी दिशा में है तथा मौके पर भी इसी तरह स्थित है। भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी की भूमि को साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उक्त कृत्य विधि विरुद्ध है जिससे प्रार्थी की नवीन आराजी सं. 1187/102 रकबा 0.18 हैक्ट को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार विपक्षी संख्या एक की आ.स. 106 रकबा 0.35 हैक्ट. केस्म गे.मु. रास्ता व प्रार्थी की आराजी संख्या 1187/102 रकबा 0.18 हैक्ट के रकबे में से 0.18 हेक्ट रकबा प्रार्थी की आ.स. 107 के दक्षिण पूर्वी भाग में लगती हुई तरमीम करने तथा विपक्षी संख्या एक की आ.स. 106 रकबा 0.35 हैक्ट किस्म गे.मु. रास्ता को प्रार्थी की आसं 1187/102 व 107 के दक्षिण पूर्वी दिशा में तरमीम करते हुए प्रार्थी के नवीन नम्बरों को साबिक नम्बरों के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित हो गया है। अतःएव श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आसुणा में स्थित प्रार्थी की नवीन आराजी नं. 1187/102 रकबा 0.18 है. को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार आ.स. 106 रकबा 0.35 हैक्ट व आ.सं. 1187/102 रकबा 0. 18 हैक्ट में से रकबा 0.18 हैक्ट को नवीन नक्शा में प्रार्थी की आ.स. 107 से लगती हुई दक्षिणी पूर्वी कोने पर तरमीम करने व आ.सं. 106 रकबा 0.35 हैक्ट को प्रार्थी की आ.सं. 1187/102 रकबा 0.18 हैक्ट के दक्षिणी पूर्वी कोने पर तरमीम करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान करवाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी ने मौके पर बताया कि उसकी खातेदारी ख.न. 107 की दक्षिण एवं खसरा नम्बर 1187/102 के उत्तर में दोनो खातेदारी खसरो के बीच खसरा नम्बर 106 बिलानाम गे.मु. रास्ता रकबा 0.35 है0 दर्ज है जो सड़क से होकर प्रार्थी की दोनो खसरो के बीच होकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 107 व 109 के पूर्वी दिशा में स्थित है। प्रार्थी चाहता है कि सड़क के पास उसकी खातेदारी खसरा नम्बर 107 एवं 1187/102 के मध्य स्थित खसरा नम्बर 106 रकबा 0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमि बनती है जो प्रार्थी के कब्जे में है तथा उसके एवज में रास्ता हेतु वादी के खसरा नम्बर 1187/102 रकबा 0.18 है0 में सकता 0.05 है0 रास्ता देना चाहता है जो भूमि मौके पर पड़त है उसमें होकर आगे वापस खसरा नम्बर 106 के शेष रकबा में मिलता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम आसुणा की साबिक आराजी संख्या 3536/35 रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजियात को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बर जो कायम किये गये जो मिलान क्षैत्रफल के अनुसार 107, 108, 109, 110, 1887/102 कुल किता 5 कुल रकबा 1.08 है0 कायम किये गये साबिक रकबे के मुकाबले नवीन रकबा सही दर्ज किया गया किन्तु प्रार्थी की खातेदारी के मध्य आराजी संख्या 106 का दक्षिणी भाग जो प्रार्थी की खातेदारी के मध्य दे दिया जिसे प्रार्थी की खातेदारी 2 भाग में विभाजित हो रही है जबकि साबिक नक्शे में ऐसा नही था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबिक के मुकाबले नवीन रेकार्ड में नक्शा दुरस्त करने हेतु स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खाखरमाला के ग्राम आसुणा के नवीन आराजी संख्या 106 का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 107 एवं 1187/102 के मध्य है जिसे दुरस्त कर उक्त 5 ऐयर रकबा को प्रार्थी के खातेदारी के मध्य से हटाया जाकर आराजी संख्या 1187/102 के दक्षिण और पूर्व में मौके की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए संशोधित किया जावे। आराजी संख्या 106 का रकबा 0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमि प्रार्थी के खाते में दर्ज किया जावे एवं इसके बजाय प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1187/102 रकबा 0.18 है0 मे से 0.05 है0 भूमि मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार हुक्मनामा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-08-2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—05 / 2020 (2020 / 00203) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपी पिता रूपा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खाखरमाला के ग्राम आसुणा के नवीन आराजी संख्या 106 का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 107 एवं 1187 / 102 के मध्य है जिसे दुरस्त कर उक्त 5 ऐयर रकबा को प्रार्थी के खातेदारी के मध्य से हटाया जाकर आराजी संख्या 1187 / 102 के दक्षिण और पूर्व में मौके की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए संशोधित किया जावे। आराजी संख्या 106 का रकबा 0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमि प्रार्थी के खाते में दजे किया जावे एवं इसके बजाय प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1187 / 102 रकबा 0.18 है0 मे से 0.05 है0 भूमि मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार हुक्मनामा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

12.8.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested